web.: www.vbspu.a

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,
कुलसचिव

पत्रांक पु०वि०वि० / सम्बद्धता / 2022 /
दिनांक :

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री रंगजी यादव महाविद्यालय,
रामपुर माझा, मटखन्ना, गाजीपुर।

विषय महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयो में सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध मे शासनादेश संख्या--1103(1)/सत्तर-6--2014-2(97)/2014, दिनाक-01 अगस्त, 2014 जिसके तहत शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयो/पूर्व मे सचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यकमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **श्री रंगजी यादव महाविद्यालय, रामपुर माझा, मटखन्ना, गाजीपुर** को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातक** स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत **हिन्दी, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान** विषयो मे सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर माननीय **कुलपति जी द्वारा** निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक 01.07.2022 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

1. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक-02 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसगत दिशा निर्देशों एव इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशो का पालन करेगा।
2. शासनादेश सख्या-5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी.,दिनांक-16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या-5125/70-2-2005-2(166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. रिट याचिका सख्या-61859/2012 मे पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनाक-30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एव मानको की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानो के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश मे आने पर सम्बद्धता स्वत समाप्त समझी जाएगी।
7. शासन के पत्र सख्या-12/2015/450/सत्तर-2015-16 (33)/2015, दिनाक-12 जून, 2015 मे दिये गये निर्देश के क्रम मे महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
8. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण-पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
9. महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष AISHE का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. सहायक कुलसचिव शैक्षणिक को आगामी कार्यपरिषद की बैठक मे कार्यपरिषद के संज्ञानार्थ रखे जाने हेतु।
5. परीक्षा नियंत्रक/अतिगोपनीय/परीक्षा विभाग।
6. मैकेनिकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु

कुलसचिव